

भारतीय समाज में जनजातीय महिलाओं की भूमिका निर्वहन का समाजशास्त्रीय विश्लेषण

कविता कन्नौजिया, Ph. D.

एसोसिएट प्रोफेसर, समाजशास्त्र - विभाग, किशोरी रमण महिला स्नातकोत्तर
महाविद्यालय, मथुरा।

Paper Received On: 25 NOV 2021

Peer Reviewed On: 30 NOV 2021

Published On: 1 DEC 2021

Abstract

प्रस्तुत शोध 'भारतीय समाज में जनजातीय महिलाओं की भूमिका निर्वहन का समाजशास्त्रीय विश्लेषण' के अर्न्तगत भारतीय जनजातीय स्त्रियों का परंपराओं, मान्यताओं, धर्म, वेश-भूषा तथा अर्थव्यवस्था में भूमिका निर्वहन का, उनकी दशा, उनके जीवन की समस्याओं का विश्लेषण किया गया है। यह शोध भारत के विभिन्न क्षेत्रों में निवास करने वाली प्रमुख जनजाति महिलाओं की सामाजिक स्थिति तथा अर्थव्यवस्था पर केन्द्रित है। यह शोधपत्र तथ्यों, आकड़ों एवं चित्रों का संग्रह विभिन्न द्वितीय तथ्यों तथा प्राथमिक तथ्यों के संकलन के दौरान अवलोकित गुणात्मक तथ्यों पर आधारित है। जनजातीय समुदाय हमारे समाज का एक बड़ा हिस्सा है। भारतीय समाज अपने में विविधता को संजोए हुए है। विविधता के मुल में भारत के विभिन्न प्रदेशों में स्थित जनजातियाँ अपनी संस्कृति के जरिये भारतीय संस्कृति को एक अनोखी पहचान देती है। समाज के संस्कृति संरक्षण में व अर्थिक क्रिया-कलापों में महिलाओं की अहम भूमिका है। इस लिए भारतीय समाज में जनजातीय महिलाओं की भूमिकाओं का अध्ययन करना आधुनिक समाज की आवश्यकता है।

Keywords- भारतीय जनजातीय महिलाएँ, जनजातीय महिलाओं की भूमिका निर्वहन, जनजातीय महिलाओं का अर्थव्यवस्था में योगदान।



Scholarly Research Journal's is licensed Based on a work at www.srjis.com

जनजाति एक मानवशास्त्रीय अवधारणा है। कुछ लोग इसे जीववादी तो कुछ लोग आदिवासी धारणा मानते हैं। हरिचन्द्र शाक्य- आदिवासी के सम्बन्ध में लिखते हैं 'आदिवासी, आदिमजाति, जनजाति, वनवासी आदि किसी भी नाम से हमारे समाज में पहचाने जाने वाला एक मानव समूह है जो प्रायः जंगलों, पहाड़ों और दूर-दराज के इलाकों में आधुनिक सभ्यता के लाभों से वंचित प्रगति के दौड़ में पिछड़ा, शिक्षा तथा जागरण के वरदान से प्रायः अछूता और शोषण का शिकार है। डॉ० डी० एन० मजूमदार लिखते हैं। -“एक जनजाति परिवारों या परिवारों के समूह का संकलन होता है जिसका एक सामान्य नाम होता है, जिसके सदस्य एक निश्चित भू-भाग में रहते हैं। समान भाषा बोलते हैं और विवाह, व्यवसाय या उद्योग के विषय में निश्चित विशेषात्मक नियमों का पालन करते हैं। और पारस्परिक कर्तव्यों की एक सुविकसित व्यवस्था को मानते हैं।”

जनजाति अंग्रेजी में 'ट्राइब' शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ब्रिटिश जनगणना अधिकारियों एवं द्वारा भारत में जनजाति समूहों की गणना के उद्देश्य से किया गया। १८वीं शताब्दी में जाति एवं जनजाति शब्दों को समानार्थक रूप में जानने का प्रयास ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया। भारतीय संविधान में १९५० में 'पिछड़े' के स्थान पर अनुसूचित शब्द को रखा गया। संविधान के अनुच्छेद ३४२ (अ) में भारत के राष्ट्रपति को किसी विशेष समूह को 'अनुसूचित जनजाति' घोषित करने के लिए अधिकृत किया गया। ये जनजातियाँ सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ी हुई थीं। इनको अनुसूचित में रखा गया, ताकि उनकी संख्या निश्चित हो सकें तथा उनका सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक उत्थान हेतु उनके यथार्थ स्थिति का अवलोकन किया जा सकें।

भारत के कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का महत्वपूर्ण स्थान है। १९८१ की जनगणना के अनुसार ५.३८ करोड़ थी। जो १९९१ में ६.७८ करोड़ हो गई और २०११ के अनुसार १०.४२ करोड़ जनसंख्या अनुसूचित जनजातियों की है। जो कुल जनसंख्या का ८.६ प्रतिशत है। भारत की कुल ग्रामीण जनसंख्या का ११.३ प्रतिशत तथा कुल शहरी जनसंख्या का २.८ प्रतिशत जनजातीय समुदाय है। सम्पूर्ण भारत में ७०० से अधिक जनजातियाँ निवास करती हैं। जिसमें ७५ को विशेष पिछड़ी जनजातियों की श्रेणी में रखा गया है। भारत में सबसे अधिक जनजातियाँ मध्यप्रदेश में पायी जाती हैं। जो इसके कुल जनसंख्या का लगभग २१ प्रतिशत है। प्रतिशतता के आधार पर सबसे अधिक जनजातियाँ लक्ष्यद्वीप में ६४.८ प्रतिशत पायी जाती हैं। जनजातीय जनसंख्या करीब-करीब न्यूनाधिक मात्रा में सम्पूर्ण भारत में

निवास करती है किंतु कुछ राज्य व क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ इनका प्रतिशत सबसे ज्यादा है। भारत के मध्य प्रदेश, छत्तिसगढ़, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखण्ड, आन्ध्रप्रदेश और पश्चिम बंगाल में ८० प्रतिशत जनजातीय आबादी निवास करती है।

सारिणी संख्या-१ जनजातियों में लिंगानुपात विवरण

प्रमुख जनजातीय राज्य जिनमें लिंगानुपात ६००से अधिक है

राज्य	लिंगानुपात (२००१)			दशांक परिवर्तन (२००१-२०११)		
	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी
नागालैण्ड	६४३	६४२	६४६	६७६	६६४	१०१४
मिजोरम	६८४	६५६	१०१२	१००७	६६७	१०४७
मेघालय	१०००	६८७	१०७२	१०१३	६६६	११०४
लक्ष्यद्वीप	१००३	१००१	१००६	१००३	६६४	१००६

२०११ की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय 'भील' है। जिसकी जनसंख्या १.७ करोड़ है। इसमें ८४ लाख महिलाएं और ८६ लाख पुरुष हैं। दूसरे स्थान पर 'गोंड' जनजाति है। जिसकी जनसंख्या १.३ करोड़ है। सबसे प्राचीन जनजाति 'जारवा' है। यह लगभग ५००० साल पुरानी है। इनकी जनसंख्या बहुत ही कम है। इनका निवास स्थान अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह है। झारखण्ड की सबसे बड़ी जनजाति संथाल है। संथालों में विवाह को बुपल नाम से जाना जाता है। यहा की 'उरावं' जनजाति है जो कुरुख भाषा बोलते हैं, 'हो' जनजाति जो छोटा नागपुर में निवास करती है। इस जनजाति में अण्डी विवाह (बातचीत के द्वारा विवाह) व ओपोरतीपि विवाह (अपहरण के द्वारा विवाह) प्रचलित है। झारखण्ड में उरावं, हो, मुंडा जनजाति के लोग सरहुल, फागु, भागे त्यौहार मनाते हैं। सरहुल एक प्रकार का फूलों का त्यौहार है। उत्तराखंड के नैनीताल से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर तराई क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती है। थारू उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। थारू जनजाति दीपावली के त्यौहार को शोक के रूप में मनाते हैं। उत्तराखंड की पहाड़ियों और उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में भोटियां जनजाति निवास करती है। यह प्रायः ऋतु प्रवास जनजाति है। उत्तराखंड के जौनसारी जनजाति में बहुपति विवाह प्रथा पायी जाती है। उत्तराखंड के बुक्सा जनजातीय में अनुलोम-प्रतिलोम विवाह प्रचलित है। उत्तर प्रदेश में गोंड जनजाति निवास करती है, जो यहाँ की सबसे बड़ी जनजाति है। यहां की खरवार जनजाति क्रोधी प्रवृत्ति के होते हैं, शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं। मध्यप्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति

भील है। इसके अलावा राजस्थान और गुजरात में भी भील जनजाति समूह निवास करती है। मध्य प्रदेश के कोल जनजाति का मुख्य व्यवसाय कृषि है। मणिपुर में कूक्की, मैकी तथा सिक्किम में लेपचा व सिख जनजातियाँ निवास करती है। हिमाचल प्रदेश में गद्दी जनजाति निवास करती है। ठंड से बचने के लिए गद्दीदार कपड़े पहनते है। असम में अहोम, बोडो जनजाति निवास करती है। जम्मू कश्मीर में बक्कवाल तथा लद्दाक में चांगपा जनजाति निवास करती है ये जनजाति के लाग अच्छे किस्म का उन देने वाले पशुमिना बकरों, बकरियों को पालते है। नीलगीरि के पहाड़ियों में टोडा जनजाति निवास करती है। ये बहुपति विवाह प्रथा को मानते है। चेंचू जनजाति आन्ध्र प्रदेश व तेलंगाना की सबसे बड़ी जनजाति है चेंचू उड़ीसा में भी निवास करती है, कुछ मात्रा में ये जनजाति केरल में भी निवास करती है। मेघालय में गारों, खासी, मिक्कि, निंजा तथा जयंती जनजातियाँ रहती है। खासी जनजाति के लोग झूमिंग कृषि (स्थानांतरित कृषि) करते है।

सामान्य रूप से जनजातियों के जीवन में निम्नांकित समस्याएँ देखने को मिल रही है। ब्रिटिश शासन के आगमन से पूर्व जनजातियों का प्राकृतिक संसाधनों के ऊपर स्वामित्व था, वे प्रबंधन के निर्वाह अधिकारों का उपभोग करती थी। भारत में औद्योगिकीकरण की शुरुआत तथा खनिजों की खोज ने जनजातीय क्षेत्रों को बाहरी जगत के लिए खोल दिया गया। इसने भूस्वामी, महाजन, ठेकेदार जैसे शोषणकर्ता वर्गों को जन्म दिया और वे अपनी आजीविका के सुरक्षित साधनों से वंचित होते गए। उनमें अपनी सांस्कृतिक जड़ों से कटने का भाव उत्पन्न हुआ। स्वतंत्रता के पश्चात बड़े उद्योगों का विकास, इस्पात संयंत्र शक्ति परियोजनाएँ एवं बड़े बाँध अस्तित्व में आये, इनके हेतु सरकार द्वारा जनजातीय क्षेत्रों की भूमि का बड़े पैमाने पर अधिग्रहण किया गया। खनन व उद्योग हेतु जनजातीय क्षेत्रों का व्यवसायीकरण होना उनके स्त्री-पुरुषों को बाजार अर्थव्यवस्था के हथकंडों का शिकार बनाने में सहायक सिद्ध हुआ। इसमें उपभोक्तावाद महिलाओं को उपभोग की वस्तु समझने की अवधारणों को मजबूती मिली। जिससे उनके जीवन में विस्थापन की समस्याये उत्पन्न हुई। ये जनजातियाँ निकट के मलिन बस्तियों में रहने लगी प्रवासन के कारण उनके धार्मिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक मूल्यों का निरन्तर ह्रास हो रहा है और अकुशल श्रमिकों के रूप में आस-पास के प्रदेशों में प्रवास कर गईं। अस्तित्व, रोजगार की तलाश ने उन्हें एक नया और कठिन वातावरण दिया। समय-समय पर शहरी क्षेत्रों ने इन्हे जटिल जीवनशैली एवं मूल्यों के साथ सामंजस्य स्थापित करने को मजबूर किया है। शहरी लोगों के द्वारा उनका

शारीरिक, मानसिक, व आर्थिक शोषण किया जा रहा है। कम पैसे पर काम, करने के लिए मजबूर है। अलगाव, अशिक्षा से जूझ रहे हैं। जनजातियों की लगभग ७० प्रतिशत आबादी निरक्षर हैं। जिसके कारण उनके जीवन में अन्धविश्वास व पूर्वाग्रह,की भावना प्रबल बनी हुई है। अत्यधिक गरीबी, शिक्षण सुविधाओं व शिक्षकों की कमी इनके क्षेत्रों में शिक्षा के विस्तार को बाधित करते हैं। आर्थिक तंगी एवं असुरक्षित आजीविका के कारण जनजातियों के जीवन में स्वास्थ्य संबन्धि समस्याये बनी हुई है। इनके क्षेत्रों में मलेरिया, क्षय रोग, चर्मरोग, पिलिया, हैजा तथा अतिसार जैसे बीमारियाँ फैलती रहती है। जनजातियों की परम्परागत संस्थाओं एवं कानूनों का आधुनिक संस्थाओं के साथ टकराव होने से जनजातियों में पहचान के संकट की आशंकाए पैदा हुए है। भाषाओं और उपभाषाओं की बिलुप्ति भी इनके पहचान के क्षरण का संकेतक है। आज भी ये जनजातियाँ सामाजिक सम्पर्क स्थापित करने में अपने आप को सहज नहीं महसूस कर पा रही है। जिसके कारण सामाजिक सांस्कृतिक अलगाव, अस्पृश्यता की भावना महसूस करती है। ये आम बोल-चाल की भाषा को समझ नहीं पाती। सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता की कमी है। जो इनके सामाजिक पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण है। इनकी प्रमुख समस्या गरीबी तथा ऋणग्रस्तता है, इस समुदाय का एक तबका ऐसा है जो दूसरों के घरों में काम कर जीवन यापन कर रहा है। आर्थिक तंगी के कारण माँ-बाप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं पाते है तथा पैसे के लिए अपने बच्चों को व्यवसायियों व दलालों के हाथ बेच देते हैं। प्रचीन काल में जनजातियों के धर्म पर रिति-रिवाज उनकी परम्परा का बहुत अधिक प्रभाव था। धर्म जादू,टोना, टोटम, आदि सामाजिक नियन्त्रण का कार्य करते थे। लेकिन आज स्थिति वैसी नहीं है। सभ्यता के विकास के साथ धर्म, जादू, टोटम, का असर कम हो गया। जिससे सामाजिक नियन्त्रण में कमी आयी है। जनजातीय समाज में युवागृहों का पतन हो रहा है। जब की इन युवागृहों में जनजातीय युवक-युवतियों को शिक्षित किया जाता था। उनका मनोरंजन होता था। व्यापारिक प्रशिक्षण दिया जाता था। वैवाहिक जीवन हेतु तैयार किया जाता था। अब कोई उचित व्यवस्था न होने के कारण सामाजिक जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। खासी जनजाति के लोग झूमिंग कृषि (स्थानांतरित कृषि) करते है।

भारत के संविधान में अनुसूचित जनजातियों के हितों के रक्षा के लिए अनेक व्यवस्थाए की गई है। अनुच्छेद ४६में शैक्षणिक व आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का प्रावधान है। ८६ वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा पृथक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातीय आयोग की स्थापना की गई। उनके राजनीतिक

हितों की रक्षा के लिए उनकी सख्या के अनुपात में राज्यों की विधानसभाओं तथा पंचायतों में स्थान सुरक्षित रखे गये है। अनुच्छेद २४४ में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की व्यवस्था का प्रावधान है। भारतीय अनुच्छेद २७५(१) के तहत जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने और उनके क्षेत्र प्रबन्धन के स्तर को बढ़ाकर राज्य के अन्य क्षेत्रों के समान करने के लिए सुनिश्चित विशेष वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया। इस सहायता का मूलप्रयोजन पारिवारिक आय सृजन की निम्न योजनाओं जैसे कृषि, बागवानी, लघु उद्योगों बढ़ावा देना है। अनुच्छेद ३३० में जनजातियों के सीटों का आरक्षण व्यवस्था है। अनुच्छेद ३३२ में राज्य के विधान सभाओं में सीटों के आरक्षण की व्यवस्था है। अनुच्छेद में ३३५ में विभिन्न सेवाओं और पदों के लिए आरक्षण अधिकार का प्रावधान है। अनुच्छेद ३३८ में विशेष अधिकार की व्यवस्था तथा अनुच्छेद ३३६ में जनजातियों के प्रशासन पर केन्द्र सरकार अधिकार व्यवस्था है। अनुच्छेद १७ समाज में सभी तरह के अस्पृश्यता का निषेध करता है। इनके बस्तियों में पेयजल की आपूर्ति, पर्यावरण सुधार तथा अन्य सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाएँ जा रहे है। समेकित बाल विकास सेवाओं से इन समूहों के बच्चों एवं महिलाओं को व्यापक रूप से लाभ पहुँच रहा है। राज्य सभा टी० बी० चैनल द्वारा चलाएँ गए 'मै भी भारत' जनजातीय जीवनचर्या पर आधारित कार्यक्रम भारत के जनजातीय समुदाय की पहिचान को मुखर करने का काम किया है। संवैधानिक प्रावधानों से अलग कुछ कार्य ऐसे है जिन्हे सरकार जनजातियों के हितों को अपने स्तर पर भी देखती है। इसमें शामिल है, सरकारी सहायता अनुदान, अनाज बैंकों की सुविधा, आर्थिक उन्नति हेतु प्रयास नौकरियों में प्रतिनिधित्व हेतु उचित शिक्षा व्यवस्था, छात्रावासों का निर्माण, छात्रवृत्ति की उपलब्धता तथा सांस्कृतिक सुरक्षा मुहैया कराना इत्यादि। आर्थिक समस्याओं को हल करने के लिए देश में रोजगार के अवसरों में वृद्धि से सम्बन्धित कार्यक्रमों में जनजातियों के लोगों को प्राथमिकता दी गई है। इनके परिवारों को कृषि हेतु पर्याप्त भूमि देने तथा कृषि के आधुनिक तरिकों से उन्हें अवगत कराने का प्रयास किया जा रहा है। जनजातियों के बीच उद्योगों के विकास के लिए उठाए गये कदमों में मुख्य है- सहायिकी तथा आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराना, विशेष उद्यम कार्यक्रम, व्यावसायिक व तकनीकी प्रशिक्षण परामर्श सेवाएं तथा चमड़ा विकास निगमों की स्थापना की गई है। जनजातियों की शिक्षा सम्बन्धि समस्याओं को दूर करने के लिए। इनके परिवारों से उन बाधाओं को दूर किया गया है। जिससे वे अपने बच्चों को स्कूल अधिक संख्या में भेज सके। स्कूलों में उन्हें शिक्षा के प्रत्येक स्तरों पर छात्रवृत्ति देने के

व्यापक कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। जनजातीय समूह के मेधावी विद्यार्थियों के लिए विदेशों में अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति तथा यात्रा अनुदान दिया जाता है। शिक्षण तथा प्रशिक्षण संस्थाओं में इनके लिए सीटे आरक्षित हैं। योग्यता तथा आयु में छूट है। स्कूलों में उन्हें व्यवसायिक प्रशिक्षण देना आवश्यक है। जिससे की शिक्षा ग्रहण करने के बाद उन्हें बेकारी की समस्या से न जूझना पड़े। इसलिए कृषि, पशुपालन, मुर्गी-पालन, मत्स्य-पालन, मधुमक्खी-पालन एवं अन्य प्रकार की हस्त कलाओं का भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मेडिकल इंजीनियरिंग, कृषि, पशुचिकित्सा तथा पालिटेक्निक पाठक्रमों के विद्यार्थियों के लिए पुस्तक बैंक योजना लागू की गई है। अनुसंधान व प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत विश्वविद्यालयों , सामाजिक अनुसंधान संस्थाओं को इन समूहों के विकास सम्बन्धि शोध कार्यों और मूल्यांकन अध्ययनों के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। दशवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जंगल बाहुल्य ग्रामों का विकास जनजातीय विकास के क्षेत्र में एक अहम् हिस्सा है।





भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि भारत में जाति, धर्म एवं लिंग के आधार पर जनजातीय समूहों के बीच कोई भेद-भाव नहीं किया जाएगा। जनजातीय समाजों में स्त्री की स्थिति कतिपय भिन्न है। भारतीय जनजातीय समाजों में इस संदर्भ में कोई एक सामान्य निष्कर्ष निकालना पर्याप्त कठिन कार्य है। मेघालय की प्रसिद्ध जनजाति गारों तथा खाँसी है। ये दोनों मातृसत्तात्मक एवं मातृवंशी हैं। इसका तात्पर्य है कि सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक क्षेत्र में स्त्रियों के अधिकारों की प्रधानता, सत्ता परिवार के बुजुर्ग महिला के हाथ में होती है। तथा उत्तराधिकार एवं पदाधिकार दोनों का निर्धारण मातृवंशीकता के सिद्धान्त के आधार पर होता है। माता-पिता अपने पुत्रियों में से किसी एक का जिसको वो व्यवहारिक रूप से योग्य समझते हैं। उसे उत्तराधिकारी नियुक्त करते हैं। खाँसी परिवार का केन्द्रबिन्दु माँ होती है। वह परिवार की सम्पत्ति की स्वामिनी होती है। निवास स्थान मातृस्थानीय है। परिवार में मामा की भूमिका पर्याप्त होती है। छोटी पुत्री धार्मिक कार्यों का संचालन करती है और पुरोहित का कार्य भी करती है। भील तथा गरासीया जनजातियों में पितृसत्तात्मक तथा पितृस्थानीय होते हैं। इनके परिवारों में बड़े पुत्र को विशेष दायित्व तथा विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। यहां लड़कियों का सम्पत्ति में अधिकार नहीं होता, पत्नी की सामाजिक प्रस्थिति हिन्दू समाज की अपेक्षा ऊँची होती है। दुर्गम एवं बीहड़ प्रदेशों की अनुपजाऊ क्षेत्र में रहने वाली जनजातियों का प्राथमिक स्रोत पशु पक्षियों का शिकार करना है। हस्त शिल्प के क्षेत्र में जनजातीय स्त्रियों का महत्वपूर्ण योगदान है। मणिपुर त्रिपुरा, नागालैण्ड की जनजातियों में स्त्रियाँ रंग बिरंगी वस्त्रों का निर्माण करती हैं। मोतांतिक स्त्रियाँ अपने बचपन से ही कताई, बुनाई, का काम सीखती हैं। हिमाचल में रहने वाली गुर्जर जनजाति की स्त्रियाँ पुरुषों से भी अधिक कठोर श्रम करती हैं। राजस्थान गडूलिया लुहारों की स्त्रियाँ कृषि उपकरण बनाने का कार्य करती हैं। खानाबदोशी जनजाति की स्त्रियाँ भी सड़क के किनारे लोहे के औजार पर हथौड़ा चलाती हुई दिखाई पड़ जाती हैं। ये स्त्रियों के कठोर श्रम का सशक्त उदाहरण हैं। टोकरी बनाना रस्सी, चटाई, बरतन, बेंत का कार्य स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। शिल्प उद्योग में कलात्मक वस्त्रों के निर्माण में स्त्रियों की पुरुषों

से अधिक भगीदारी है। संथाल स्त्री पुरुष इस्पात के कारखानों एवं रानीगंज तथा झरिया के कोयला के खानों में साथ-साथ काम करते हैं। नागा स्त्री पुरुष असम के चाय बगानों में साथ-साथ काम करते हैं। मणिपुर तथा मेघालय की जनजातियों के आर्थिक क्रिया-कलापों जैसे व्यापार के क्षेत्र में स्त्रियाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इनफॉल के इन्फा मार्केट में ६६ प्रतिशत स्त्रियाँ व्यापार में व्यस्त दिखाई दीं। अरूराचल की जनजातीय स्त्रियाँ मिला दूर तक पैदल यात्रा करती हुई पहाड़ के कठिन रास्तों से एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली जाती हैं तथा आवश्यक वस्तुओं के विनिमय में संलग्न दिखाई देती हैं तथा मोटांतिक स्त्रियाँ स्वयं के, द्वारा निर्मित कलात्मक वस्तुओं का मूल्य निर्धारण स्वयं अथवा अपने पुरुषों के सहायता से करते हैं। लेन-देन की मामलों में स्त्रियों की राय लेना आवश्यक समझते हैं। इस प्रकार जनजातीय स्त्रियों द्वारा निर्मित वस्तुएँ समाज में उन्हें सम्मान प्रदान करती हैं। जनजातियों में विवाह एक धार्मिक संस्कार के रूप में कम तथा एक समझौते के रूप में जीवन साथी की चयन के तरीके, विवाह के स्वरूप तथा उनकी प्रस्थिति के द्योतक के रूप में हैं। अधिकांश जनजातीय समाजों में जीवन साथी के चयन की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है। दूसरी ओर अन्यत्र विवाह का आयोजन माता-पिता द्वारा किया जाता है। अपहरण तथा क्रय द्वारा किया जाने वाला विवाह स्त्रियों की निम्न प्रस्थिति की ओर संकेत करता है वही परिविक्षा विवाह (गुजरात के भीलों में, असम की कूकी जनजाति में) स्त्री की उच्च प्रस्थिति को दर्शाते हैं। मोटिया, तंगसा, नागा तथा कूकी आदि जनजातियाँ अधिक उम्र में विवाह के प्रतिमानों का पालन करती हैं। जनजातियों में विधवा विवाह प्रतिबन्धित नहीं रहा है। अधिकांश मामलों में-भाभी विवाह अर्थात् एक विधवा का विवाह उसके मृत पति के छोटे भाई से कर दिया जाता था। यद्यपि एक विधवा अन्यत्र विवाह सम्पन्न कर सकती है। 'घोटुल भारत के अनेक जनजातीय समूहों में एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है जो मनोरंजन, संस्कृति संरक्षण के साथ-साथ अनेक प्रकारों के लिए सिद्ध है। घोटुल संस्था ने स्त्रियों को सम्मान दिया है। उन्हें संगठित होने का एक मंच प्रदान किया था। वर्तमान में यह संस्था धीरे-धीरे समाप्त होती जा रही है जिनका जनजातीय स्त्रियों की स्थितियों पर नाकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि जनजातीय महिलाएं प्रत्येक स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। भोजन पकाने, बच्चों की देखभाल, ईंधन संग्रह व बजार में बचने का कार्य करती हैं। दुरगम एवं बीहड़ प्रदेश की स्त्रियाँ पशु पक्षियों का शिकार करती हैं। कृषि के सहयोगी कार्यों में भाग लेती हैं। छोटे-छोटे दशतकारी शिल्पकारी में स्त्रियों की पुरुषों से अधिक भागीदारी है। कृषि कार्यों की दृष्टि से देखा

जाय तो प्रायः पुरुष हल चलाने का कार्य और स्त्रियाँ कृषि के सहयोगी कार्यों में भाग लेती है। इन पर कृषि कार्यों में भागीदारी पर किसी प्रकार का नियन्त्रण नहीं था। खानो, कारखानो एवं चाय के बागानों में साथ-साथ काम करते हैं। प्रवसन के कारण उनके धार्मिक सांस्कृतिक व सामाजिक मूल्यों का निरन्तर ह्रास हो रहा है फिर भी उसे बनाए रखने के प्रयास में वे एक स्थान पर एकत्र होकर अपने त्योहार व सांस्कृतिक कार्यक्रम मनाती हैं। एक ओर जनजातीय समाज में जहाँ स्त्रियों को आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्र में सम्मानजनक स्थिति प्राप्त है तो बदलते परिवेश में अनेक चुनौतियों के साथ अपने स्थान को बनाए रखने के लिए प्रयासरत है। बदलती सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों ने जनजातीय महिलाओं के जीवन को प्रभावित किया है। वे अपने निवास को छोड़कर शहरों की ओर कूच कर गई है। अपने अस्तित्व रोजगार की तलाश ने उन्हें एक नया और एक कठिन वातावरण दिया है। जिससे वे बहुत सारी समस्याओं का सामना करने के लिए मजबूर है। शहरी लोगों के द्वारा उनका शारीरिक, मानसिक व आर्थिक शोषण किया जा रहा है। आधुनिक अर्थव्यवस्था में धीरे-धीरे जनजाति महिलाएं पारम्परिक आर्थिक क्रिया-कलापो एवं रोजगार के साधनों के साथ समन्वय स्थापित करना आरम्भ कर दिया है। शिक्षा के महत्ता और उपयोगिता से जनजातीय समुदाय में साक्षरता का प्रतिशत बढ़ा है। लेकिन इसमें और सुधार की आवश्यकता है। इनको स्कूल तक पहुँचने, शिक्षकों की कमी को दूर करने शिक्षण सामग्री आदि कि सन्तोष जनक व्यवस्था के लिए सरकार को संसाधन उपलब्ध कराने होंगे। शिक्षा प्रचार-प्रसार के लिए स्वमसेवी संगठनों को भी भागीदार बनाना होगा। बहुमुखी प्रयासों के द्वारा ही हम बच्चों के भीतर छिपी प्रतिभाओं व क्षमताओं को पहचान कर उनका सम्पूर्ण विकास कर सकते हैं। जनजातियों की सामाजिक संरचना और संस्कृति में अनेक परिवर्तन हुए हैं।

सन्दर्भ सूची

- राजपूत, उदयसिंह (२०१५) जनजातीय शिक्षा: प्रयास, उपलब्धियाँ एवं चुनौतियाँ,
अरुण कुमार (सम्पादित), आधुनिक शिक्षा एवं दलीत, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर, पृष्ठ २५१-२६६
स्टैटिस्टिकल प्रोफाइल ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन इण्डिया-२०१०, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रायबल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया,
पृष्ठ, ६३-१०१
उप्रेति डॉ० हरिश्चन्द्र (१९९५), भारतीय जनजातियाँ राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी जयपुर।
जैन, शोभिता (२००४), भारत में परिवार विवाह और नातेदारी, रावत पब्लिकेशन्स जयपुर एवं नयीदिल्ली।
जैन श्रीचन्द्र आदिवासियों के बीच किताबघर नई दिल्ली पृष्ठ -१, १८०
सिंह, योगेन्द्र, भारतीय परम्परा का आधुनिकीकरण, रावत पब्लिकेशन २०११ मिश्र, उमाशंकर, १९९२, सामाजिक सांस्कृतिक
मानवशास्त्र, पलका प्रकाशन, दिल्ली ।

सिंह, बृजेश कुमार, गोंड जनजाति में सांस्कृतिक परिवर्तन, २०११, भारतीय प्रकाशन, वाराणसी।
राम अहूजा, (१९६४), समाजिक समस्याएँ , रावत पब्लिकेशन , जयपुर पृष्ठ- १४२-१७२
जागरण वार्षिकी २०११ ,दैनिक जागरण प्रेस।

D. N. Majumdar, Races and cultures of India , 1958 ,p.29,269, 284.

Chaudhuri B (ed),1982,Tribal Development in India: Problem and prospects.

*census of India 2011, primary Census Abstract, Scheduled castes and scheduled tribes,
Office of the Registrar General & Census Commissioner, Government of India.*

*Status of Tribal woman in India W W W Krepubhser com\02 Journels S-HCH. Delhi,Inter
India publications.*

G.S.Ghurye,The scheduled Tribes,1963.

H.Risley,The Tribes and castes of Bengal.